न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2025(GCMS 2025/351)

(RTI No. 212769939363898)

सुरेन्द्र शर्मा निवासी वार्ड नं. 08, 2 जीडी–बी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर
मोबाईल नम्बर : 80056–61221

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुरेन्द्र शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सुरेन्द्र शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ का पं.न. 107/38, प.नं. 107/61, पं.नं. 107/5 की कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि की मूल आवंटन पत्रावली रिकॉर्ड रूम से क्रमांक नं. 36/11.02.2021 को उपखण्ड कार्यालय, सूरतगढ़ में प्राप्त हुई मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्र आवंटन/आर.टी.आई./2025/293 दिनांक ...2025 द्वारा अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 77 / 2025
(GCMS No. 2025/351)
(GCMS No. 212769939363898)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन अपील व आवेदन नं. 2120 90679176551 के संबध में टिप्पणी निम्नानुसार है:

1. यह है कि प्रार्थी सुरेन्द्र शर्मा, सा. वार्ड नं. 08, 2 जीडी–बी, घड़साना श्रीगंगानगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन नं. 2120 90679176551 के द्वारा दिनांक 29.07.2025 को आवेदन किया गया था, उक्त आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में पत्रावली की प्रकरण संख्या, निर्णय दिनांक/आगामी तारीख पेशी का विवरण नहीं दिया गया था, इसलिए उक्त आवेदन पत्र प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2025/224 दिनांक 19.08.2025 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित करते हुए निरस्त किया गया था
2. यह कि प्रार्थी भादर राम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड सं. 15, लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा नकल रिकॉर्ड हेतु साधारण आवेदन दिनांक 08.09.2025 प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.09.2025 को प्रार्थी को चाहे गये रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो आवंटन शाखा के नकल दायर रजिस्टर में क्रमांक 54/2025 में अंकित है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने होने के कारण अपील खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.26 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर